

न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / आरटीआई / 101 / 2020

रजनीकांत दिक्षित, निवासी सेढ का मढ, मोहल्ला गोपालगढ,भरतपुर ।

बनाम

उपखण्ड अधिकारी भरतपुर ।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश


दिनांक 04.01.2021

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्त रजनीकांत दिक्षित, निवासी सेढ का मढ, मोहल्ला गोपालगढ,भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 02.11.2020 उपखण्ड अधिकारी भरतपुर से सूचना चाही गई थी । उपखण्ड अधिकारी भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट/840 दिनांक 21.12.2020 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी भरतपुर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध में उपखण्ड अधिकारी भरतपुर से उनके पत्र क्रमांक/3260 दिनांक 24.12.2020 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाएँ उपखण्ड अधिकारी भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्त ने उपखण्ड अधिकारी भरतपुर से सूचनाएँ उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है । उपखण्ड अधिकारी भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्र क्रमांक 3260 दिनांक 24.12.2020 का अवलोकन किया गया। पत्र के अवलोकन से यह जाहिर है कि अपीलार्थी को समस्त सूचनाएँ उपलब्ध करा दी गई हैं। उपखण्ड अधिकारी भरतपुर ने अपने जबाब की ताईद में पत्र क्रमांक 3124 दिनांक 07.12.2020 की प्रति भी भिजवाई गई है। रेस्पों. ने अपीलान्त को वाछित सूचनाएँ उपलब्ध करा दी हैं।

अस्तु अपील अपीलान्त खारिज की जाती है । निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (उपखण्ड अधिकारी भरतपुर से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी भरतपुर को भी भेजी जावे।


(निष्कुमल डिल्लेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर

